2/15/09

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 127 वीं बैठक दिनांक 22.05.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा, अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 2 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 3 उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, एस.पी. जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पी. के. पाण्डे, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एन.एल. मीणा अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री आर. के, पारीक, अति. आयुक्त जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री एम.एस. राठौड, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पोखरमल, उपायुक्त जोन-3, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपयुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हनुमान ढाका, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अजय असवाल,, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमति साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (एलपी) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (एलपी) जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक (जोन-4) जविप्रा, जयपुर।
12. श्री ओ.पी पारीक, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
13. श्रीमती रिंकू बंसल, सहायक नगर नियोजक जोन-10, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः-

एजेण्डा संख्याः-1

127/22.05.09

विषयः- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 126 वीं बैठक दिनांक 08.05.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि व गत बैठकों के निर्णयों की पालना रिपोर्ट।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं गत बैठकों की पालना रिपोर्ट का अध्यक्ष महोदय द्वारा अवलोकन किया गया।

एजेण्डा संख्याः-2 (जोन-7)

127/22.05.09

विषयः- आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना वीर विहार के भूखण्ड संख्या 1 से 4 व 11 से 14 का स्वतंत्र आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन किये जाने के बाबत्।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ परस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्डों पर आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्गठन उपरांत होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। आवेदित भूखण्ड 100 फीट चौडी क्वींस रोड पर स्थित है जिस पर जविप्रा भवन विनियमानुसार लगभग अधिकतम 190 फीट ऊँचा भवन निर्मित किया जा सकता है। चूंकि उक्त भूखण्डों के सामने सड़क की दूसरी ओर मिलिट्री एरिया स्थित है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सुरक्षा की दृष्टि से आवेदित भूखण्डों पर होटल प्रयोजनार्थ स्वीकृति के विषय में पुलिस महानिरीक्षक जयपुर की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्याः-1 (जोन-11)

127/22.05.09

विषयः- निजी खातेदार/विकासकर्ता मैसर्स एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि. की आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नशर्तो के साथ योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः-

उक्त प्रकरण को भू-उपयोग उपान्तरण हेतु राज्य स्तरीय परिवर्तन की समिति की बैठक दिनांक 05.11.2007 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें इस भूखण्ड पर नयी टाउनशिप नीति के अनुसार आवासीय योजना स्वीकृत किये जाने की शर्त है किन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.08.2008 के अनुसार नयी टाउनशिप पॉलिसी में योजना अनुमोदन के संबंध में रोक लगा दी है तथा पुरानी टाउनशिप नीति के अनुसार जब तक नयी टाउनशिप पॉलिसी में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते तब तक दिनांक 29.0 .2007 को जारी नयी टाउनशिप पॉलिसी को स्थगित रखते हुए दिनांक 29.03.2007 के पश्चात् प्रस्तुत प्रकरणों में भी दिनांक 01.01. 2002 को जारी की गयी पुरानी पॉलिसी के अनुसार ही कार्यवाही किए जाने के आदेश हैं।

अतः इस योजना को पुरानी टाउनशिप नीति के अनुसार ही निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित उपयोग में उत्पन्न होने वाले सोलिड एण्ड लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार संतोष जनक ढंग से किया जावेगा।
3. आदेश क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-11/डी-5284 दिनांक 09.07.2008 के अनुसार आवादी भूमि के पट्टे जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये जावेगें।

4

अति.एजेण्डा संख्याः-2 (जोन-1)

127/22.05.09

विषयः- श्रीमती मायाबूलचन्दानी पत्नि श्री बिशनदास बूलचन्दानी भूखण्ड संख्या 23 सैन कोलोनी, सैन गृह निर्माण सहकारी समिति मालवीय नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के संबंध में।

(याचिका संख्या 5482/1990 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2009 के संबंध में)

वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2009 के संबंध में श्रीमती मायाबूलचन्दानी भूखण्ड संख्या 23 सैन कोलोनी, सैन गृह निर्माण सहकारी समिति मालवीय नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2007 के संदर्भ में प्रकरण को भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार अधिकतम 75 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र तक सुविधा क्षेत्र से मुक्ति के संबंध में आदेश है किन्तु स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार आवासीय क्षेत्र 77.47 प्रतिशत स्वीकृत किया हुआ है तथा भूखण्ड संख्या 26 को पूर्व में सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जा चुका है जिससे आवासीय क्षेत्रफल 78.02 प्रतिशत हो गया है। भूखण्ड संख्या 23 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने पर आवासीय क्षेत्रफल 78.31 प्रतिशत होता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2009 के संदर्भ में विचार विमर्श कर उपरोक्त भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में प्रकरण को राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अति.एजेण्डा संख्याः-3 (जोन-4)</u>

127/22.05.09

विषयः- भूखण्ड संख्या सी-1, गोकुल वाटिका के सैटबैक में संशोधन बाबत्।

उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी-1 व सी-5 के लिये भूखण्ड संख्या डी-21 व 22 की तरह साइड सैटबैक (जविप्रा भवन विनियम के प्रावधान तालिका "ख" के अनुसार) 10फीट किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार संशोधित साइट प्लान जारी कर दिया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

29.5.09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2009/डी-158

दिनांक :- 29/5/09

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।,
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। 29/5/09
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर। 29-5
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर। 29/5
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन..10..जविप्रा, जयपुर। 29/5/09
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

29.5.09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।